सूचना का अधिकार

उद्देश्य

इस पठन सामग्री का अध्ययन करने के बाद आप सक्षम होंगे;

क) सूचना के अधिकार के महत्व का वर्णन करने में;

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों और विशेषताओं की पहचान करने में;

(ग) अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण को सक्रिय रूप से खुलासा करने के लिए आवश्यक सूचना की सूची बनाने में;

(घ) अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों और समय सीमा के संचालन की प्रक्रिया का वर्णन करने में;

(ड) सूचना की उन श्रेणियों का वर्णन करने में जिन्हें अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट दी जा सकती है;

(च) किसी तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना के प्रकटन के लिए अपनाई जाने वाली तीसरी पार्टी और प्रक्रिया का वर्णन करने में;

छ) अधिनियम के तहत अपीलीय तंत्र और दंड से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करने में;सार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकार के अधिकांश कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अधिनियम के उचित कार्यान्वयन से सुशासन सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक प्राधिकरणों को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाकर भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकेगा।

'सूचना का अधिकार' का अर्थ है लोगों की सरकारी जानकारी तक पहुंच की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि नागरिकों को सरकारी कार्यों, निर्णयों और निष्पादन से संबंधित सभी फाइलों और दस्तावेजों तक उचित पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है सरकार के कामकाज में स्पष्टता और पारदर्शिता।

इस अध्याय का उद्देश्य अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों और विशेषताओं को समझाना और उन अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है जिन्हें आरटीआई आवेदनों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि और व्युत्पति

'सूचना' एक शब्द के रूप में लैटिन शब्द 'फॉर्मेशन' और फॉर्मा' से लिया गया है जिसका अर्थ है किसी चीज को आकार देना और एक प्रतिरूप (पैटर्न) बनाना। सूचना हमारी जागरूकता में कुछ नया जोड़ती है और हमारे विचारों की अस्पष्टता को दूर करती है।

2. दो सदियों पहले, स्वीडन ने दुनिया में सूचना की स्वतंत्रता का पहला कानून पारित किया था। कानून मुख्य रूप से एक फ़िनिश जाति के प्रबुद्ध विचारक और राजनीतिज्ञ एंडर्स किडेनियस द्वारा प्रायोजित किया गया था। किडेनियस मानवतावादी कन्फ्यूशियस दर्शन और इस तथ्य से प्रेरित था कि चीनी सम्राटों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी कमियों को स्वीकार करें जो सत्य से उनके प्रेम और अज्ञानता तथा अंधेरे से उनके भय का प्रमाण हो।"

3. उन्होंने 1766 के प्रेस की स्वतंत्रता अधिनियम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने राजनीतिक सेंसरशिप को समाप्त कर दिया और जनता को सरकारी दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान की। सूचना शक्ति है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, सरकार सबसे साधारण और विनम्र नागरिकों के साथ शक्ति की साझेदारी करना चाहती है; सबसे कमजोर नागरिकों को सशक्त बनाना चाहती है। इस कारण से ही सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1) (क) हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तमिलनाडु और गोवा ने 1997 में सूचना के अधिकार के कानून बनाए और अन्य राज्यों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। सूचना का अधिकार कानून पारित करने वाले राज्य थे:

- राजस्थान, कर्नाटक 2000
- दिल्ली 2001
- महाराष्ट्र, असम 2002
- मध्य प्रदेश 2003
- जम्मू और कश्मीर 2004

5. भारत सरकार ने 25 जुलाई, 2000 को लोकसभा में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया। विधेयक ने सार्वजनिक प्राधिकारियों पर यह दायित्व डाला कि वह जहाँ कहीं भीपूछा जाए वहां सार्वजनिक सूचना उपलब्ध कराएं। इसे संसद द्वारा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के रूप में पारित किया गया था। तथापि, अधिनियम को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि जिस तारीख से अधिनियम लागू होना था, तब उसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था।

6. भारत की संसद द्वारा पारित और 21 जून, 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर राज्य सहित पूरे भारतवर्ष में लागू है।

प्रवीण्यं च लोकहितम्
EFFICIENCY AND THE PUBLIC GOOD

महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं

7. **"सूचना"**[10] का अर्थ है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री, जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, अभिमत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, कार्य-पंजी, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में शामिल डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित सूचना जिसे किसी लोक प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य कानून के तहत उस समय लागू किया जा सकता है;

8. अभिलेख में निम्नलिखित शामिल हैं-[11]

   i. कोई दस्तावेज़, पांडुलिपि और फ़ाइल;
   ii. किसी दस्तावेज़ की कोई माइक्रोफ़िल्म, माइक्रोफ़िशे और प्रतिकृति प्रति;
   iii. ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों की पुनप्रतिकृति (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); तथा
   iv. किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा तैयार कोई अन्य सामग्री

9. **लोक प्राधिकारी**[12] को स्थापित या गठित किसी भी प्राधिकारी या निकाय के रूप में परिभाषत किया गया है;
   i. संविधान के द्वारा या उसके अधीन;
   ii. संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
   iii. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसके अंतर्गत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई अन्य निकाय भी शामिल है;

10. **सूचना के अधिकार** का अर्थ है इस अधिनियम के अधीन सुलभ सूचना का अधिकार, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है और जिसमें निम्नलिखित अधिकार भी शामिल हैं-
   i. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
   ii. दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट, सार या प्रमाणित प्रतिलिपियाँ लेना;
   iii. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
   iv. छोटी डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में संचित है, अभिप्राप्त करना;

[11] धारा-2 (i)

[12] धारा-3 (ज)

सूचना का अधिकार (आरटीआई) - स्पष्टीकरण

11. नागरिक को किसी सार्वजानिक प्राधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण अपने पास रखता है या जो उसके नियंत्रण में होता है। इस अधिकार में कार्य, दस्तावेज और अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट, सार या प्रमाणित प्रतियाँ लेना; और सार्वजनिक प्राधिकार के पास मौजूद या लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में रखी गई सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल, है; ।

12. अधिनियम नागरिकों को संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के समान रूप से सूचना का अधिकार देता है। अधिनियम के अनुसार, जिस सूचना को संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

13. एक नागरिक को डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जहाँ ऐसी सूचना पहले से किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में संचित हो जिससे सूचना किसी डिस्क आदि में स्थानांतरित किया जा सकता हो।

14. आवेदक को सूचना सामान्यत: उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए जिसमें वह माँगी गई है। तथापि, यदि किसी विशेष रूप में माँगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचलन हो या अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण को नुकसान पहुँच सकता हो, तो उस रूप में सूचना की पूर्ति से इनकार किया जा सकता है।

15. अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। यह निगमों, संघों, कंपनियों आदि; जो कानूनी संस्थाएं/व्यक्ति हैं, लेकिन नागरिक नहीं हैं; को सूचना देने का प्रावधान नहीं करता है। तथापि, यदि किसी निगम, संघ, कंपनी, एन.जी.ओ आदि के किसी कर्मचारी या पदाधिकारी द्वारा अपना नाम दर्शाते हुए आवेदन किया जाता है और ऐसा कर्मचारी/पदाधिकारी भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना प्रदान की जा सकती है। ऐसे मामलों में यह माना जाएगा कि किसी नागरिक ने निगम आदि के पते पर सूचना माँगी है।

16. अधिनियम के तहत केवल ऐसी सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है जो पहले से मौजूद है और सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है। सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना अधिनियम के दायरे से बाहर है; या आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने के लिए; या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए।

स्वतः प्रकटीकरण

17. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी जनता को स्वतः ही संचार के विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक सूचना प्रदान करेंगे ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग करने

की जरूरत कम से कम पड़े । इंटरनेट संचार का एक प्रभावशाली माध्यम है, इसलिए सूचना को वेबसाइट पर डाला जा सकता है ।

18. अधिनियम की धारा 4(1) (बी), विशेष रूप से, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी को निम्नलिखित सोलह श्रेणियों की सूचना प्रकाशित करने की आवश्यकता है:

(1) अपने संगठन, कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण;

(2) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य;

(3) पर्यवेक्षण प्रणालियों एवं जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई कार्यविधि;

(4) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा नियत प्रतिमान

(5) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकॉर्ड;

(6) उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके द्वारा धारित हैं अथवा इसके नियंत्रणाधीन है;

(7) किसी ऐसी व्यवस्था का विवरण जो इसकी नीति के प्रतिपादन अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए निर्धारित की गई हो;

(8) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, जिन्हें अधिनियम के भाग रूप में या उसके परामर्श के प्रयोजनार्थ गठित किया गया हो और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों में आम जनता भाग ले सकती है अथवा उक्त बैठकों के कार्यवृत्त आम जनता को उपलब्ध होते हैं, का विवरण

(9) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका;

(10) इसमें इसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिपूर्ति की पद्धति सहित अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक भी शामिल है;

(11) समस्त योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण राशि की रिपोर्ट का विवरण दर्शाते हुए अपनी प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट;

(12) आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और उक्त कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्योरा;

(13) इसके द्वारा दी गई रियायतों, अनुज्ञापत्रों अथवा प्राधिकारों का विवरण;

(14) इसको उपलब्ध अथवा इसके द्वारा रखी गई सूचना के संबंध में ब्योरा जिसे इलेक्ट्रानिक रूप में दिया गया है।

(15) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें पुस्तकालय अथवा वाचनालय यदि इन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाया गया हो, के कार्य घंटे भी है।

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;

19. ऊपर उल्लिखित जानकारी की श्रेणियों के अलावा, सरकार ने 11.9.2013[13] और 15.4.2014[14] के का.ज्ञा. के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए हैं, कि निम्न्लिखित श्रेणियों की जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित की जा सकती है:

- खरीद से संबंधित जानकारी

- सार्वजनिक निजी भागीदारी
- स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
- आरटीआई आवेदन
- सीएजी और पीएसी अनुच्छेद
- नागरिक चार्टर
- विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन अनुदान
- प्रधानमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विदेश दौरे

20. इसके अतिरिक्त, सरकार सूचनाओं की अन्य श्रेणियाँ निर्धारित कर सकती है जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को प्रकाशित करना होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त संदर्भित सूचनाओं का प्रकाशन वैकल्पिक नहीं है। यह एक वैधानिक आवश्यकता है जिसे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी को अवश्य पूरा करना चाहिए।

21. दिनांक 15.4.2014 के कार्यालय ज्ञापन में निहित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार; "सभी सार्वजनिक प्राधिकरण आरटीआई आवेदनों और प्राप्त अपीलों और उनकी प्रतिक्रियाओं को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए वेबसाइटों पर खोज सुविधा के साथ की वर्ड के आधार पर सक्रिय रूप से प्रकट करेंगे। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित आरटीआई आवेदनों और अपीलों और उनके जवाबों का खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे किसी भी सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करते हैं।

22. तथापि, कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय के 20.11.2013 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए श्री अविषेक गोयनका बनाम यूओआई के मामले में, सरकार ने 23.03.2016 के ओएम के माध्यम से सार्वजनिक प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर प्राप्त आरटीआई आवेदनों और प्राप्त अपीलों और प्रतिक्रियाओं का खुलासा करते हुए, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

13. का.ज्ञा. सं. 1/8/2012-आईआर (मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के आधिकारिक दौरों पर स्वत: प्रकटीकरण) के तहत।

14. का.ज्ञा. सं. 1/6/2011-आईआर के तहत (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वत: प्रकटीकरण का कार्यान्वयन- दिशा-निर्देश जारी करना)

15. 2013 का डब्ल्यू पी नंबर 33290

.....

छूट

23. अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 9 सूचना की श्रेणियों की गणना करती है जो प्रकटीकारण से मुक्त है।

श्रेणियों से संबंधित है

(क़) राष्ट्रीय सुरक्षा
(ख) अदालत की अवमानना
(ग) संसदीय विशेषाधिकार
(घ) व्यापार गोपनीयता
(ड.) भरोसेमंद संबंध
(च) विदेश सरकार
(छ) कानून प्रवर्तन में सूचनार्थी की सुरक्षा
(ज) जांच
(झ) कैबिनेट पेपर
(ञ) गोपनीयता/व्यक्तिगत सूचना

24. तथापि, धारा 8 को उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत छूट प्राप्त सूचना या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्राप्त सूचना को उस स्थिति में प्रकट किया जा सकता है जब प्रकट करने से पूरा होने वाला लोक हित संरक्षित हित को होने वाली हानि से अधिक बड़ी हो।

25. इसके अलावा, धारा (8) की उप-धारा (3) के तहत यह व्यवस्था है कि उप-धारा (1) के तहत प्रकटीकरण छूट प्राप्त सूचना, मात्र उपबंध (ए), (सी) और (आई) में उपलब्ध कराई गई को छोडकर, को संबंधित घटना के घटने की तिथि से 20 वर्षों के उपरांत प्रकटीकरण से छूट मिलना समाप्त हो जाएगा। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अधिनियम की धारा 8(3) के तहत लोक प्राधिकारियों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे अनिश्चित अवधि के लिए रिकॉर्ड अपने पास रखें। रिकॉर्ड अभिधारण अनुसूची के अनुसार ही रखा जाना चाहिए।

26. फाइल में लाई गई सूचना के किसी कार्यालय ज्ञापन या किसी पत्र या किसी भी अन्य रूप में, फाइल/रिकॉर्ड को समाप्त किए जाने के बाद भी, बनाए रखा जा सकता है। इस अधिनियम के अनुसार यह अपेक्षित है कि अगर सूचना धारा (8) की उप- धारा (1) के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त हो तब भी 20 वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद अगर उसे उक्त रूपों में रखा गया हो तो मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना होगा।

27. इसका अर्थ यह है कि वह सूचना जिसे सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा(1) के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है उसे भी संबंधित सूचना से जुड़ी घटना से घटने के समय से 20 वर्ष बीतने के बाद प्रकटीकरण से छूट मिलनी बंद हो जाएगी। तथापि, निम्न प्रकार की सूचनाएँ छूट प्राप्त करती रहेंगी

तथा 20 वर्षों के बीतने के बाद भी किसी नागरिक को वह सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी।

(i). ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण पूर्वाग्रह युक्त तरीके से भारत की सार्वभौमिकता और एकता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशी राज्य के साथ साथ संबंध को दुष्प्रभावित करे या किसी अपराध को उकसाये;

(ii). सूचना जिसका प्रकटीकरण संसद या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का हनन करे; या

(iii). अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (1) के परंतुक में दी गई दशाओं के अध्यधीन मंत्रीपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों की चर्चाओं समेत मंत्रीमण्डल के कागजात

आरटीआई अधिनियम के अधिभावी प्रभाव

28. आरटीआई अधिनियम का अन्य क़ानूनों के रू- बरू एक अधिभावी प्रभाव है जो इस कारण से है कि आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव इस बात के होते हुए भी बना रहेगा कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 और तत्काल प्रभावी किसी अन्य कानून या आरटीआई अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी अन्य दस्तावेज़ असंगत हो।

सूचना के लिए आवेदन

29. आवेदक अपने आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 10/- रु. राशि कैश में या डिमांड-ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के द्वारा भुगतान करेगा जो कि संबंधित लोकप्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय होगा।

30. आवेदन को अतिरिक्त शुल्क का भी भुगतान करना पड़ सकता है, जैसा - कि सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है, जो कि निम्नानुसार है:-

क) नए बनाए गए या कॉपी किए जाने वाले प्रत्येक पृष्ठ (ए.4 या ए.3) दो रू. (रू. 2/-)

(ख) बड़े आकार के कागज में कॉपी की वास्तविक लागत या शुल्क;

(ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य;

(घ) रिकॉर्ड देखने के लिए, प्रथम घंटा के लिए कोई शुल्क नहीं; और आगामी प्रत्येक घंटे (या उसके भाग) के लिए पाँच रु. (रु. 5/-)

(ड.) डिस्क या फ्लॉपी में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना के लिए प्रति डिस्क या फ्लॉपी पचास रु. (रु. 50/-)

(च) प्रिंट में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना के लिए इस प्रकार के प्रकाशन के लिए निश्चित की गई राशि या प्रकाशन से निकाले जाने वाले भाग के लिए फोटो कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपए (रु. 2/-) ।

31. 24 नवंबर 2016 को ओएम के माध्यम से सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया है जहां आरटीआई शुल्क और अतिरिक्त भुगतान के रूप में नागरिक से प्राप्त राशि संबन्धित लोक प्राधिकरण के बैंक लेखा को जमा की जाएगी।

32. यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबन्धित है, तो उसे किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उसे नीचे दिये गए गरीबी रेखा से संबंधित अपने दावे से समर्थन में सबूत जमा करना चाहिए। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क के साथ रु 10 या आवेदक के नीचे गरीबी रेखा संबंधित साक्ष्य, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के तहत वैध आवेदन नहीं होगा और इसलिए, आवेदक को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

33. यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां सीपीआईओ निर्णय लेता है कि आवेदन शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर जानकारी प्रदान की जाएगी, आवेदक को सूचित किया जाएगा:

(i). भुगतान की आवश्यकता के लिए और अधिक शुल्क का विवरण
(ii). सामग्री और आवेदन के प्रारूप के लिए पूछे जाने वाले शुल्क की राशि पर पहुँचने के लिए गणना की गई।

आरटीआई आवेदन दर्ज करने के लिए आवश्यक कारण

34. जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को जानकारी या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण का अनुरोध करने के लिए कोई कारण नहीं देना आवश्यक है, जो उससे संपर्क करने के लिए जरूरी हो। साथ ही, अधिनियम या नियम जानकारी मांगने के लिए आवेदन के किसी प्रारूप को निर्धारित नहीं करते हैं। इसलिए, आवेदक को जानकारी मांगने के लिए औचित्य देने या अपने काम के विवरण देने या किसी भी विशेष रूप में आवेदन जमा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

यदि आवेदन/सूचना उत्तर देने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण से पूरी तरह से या आंशिक रूप से संबन्धित नहीं है तो उत्तर कैसे दें

35. यदि आवेदन का विषय किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से संबन्धित है, तो उसे आवेदन की प्राप्ति के पाँच दिनों के भीतर उस सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। आवेदन स्थानांतरित करने या उसकी प्रतिलिपि भेजने के दौरान, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए कि आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ है । आवेदक को अपने आवेदन के हस्तांतरण और सार्वजनिक प्राधिकरण के विवरण के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए, जिसके लिए आवेदन या उसकी प्रतिलिपि भेजी गई है।

36. यदि कोई सीपीआईओ आवेदन की प्राप्ति से पाँच दिनों के बाद आवेदन स्थानांतरित करता है, तो वह आवेदन के निपटारे में देरी के लिए जिम्मेदार होगा, जो कि आवेदन को 5 दिनों से अधिक समय में स्थानांतरित करने में लग रहा है। सार्वजनिक प्राधिकरण के सीपीआईओ जिसे आवेदन स्थानांतरित किया जाता है, को इस आधार पर आवेदन के हस्तांतरण की स्वीकृति से इनकार नहीं करना चाहिए कि उसे 5 दिनों के भीतर उसे स्थानांतरित नहीं किया गया था।

37. यदि आवेदन का केवल एक हिस्सा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से संबन्धित है, तो आवेदन की एक प्रति उस सार्वजनिक प्राधिकरण को भेजी जा सकती है, जो उस सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित भाग को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है।

38. एक सार्वजनिक प्राधिकरण इसके लिए कई सीपीआईओ पदनामित कर सकता है, क्योंकि इसे आवश्यक समझा जा सकता है। यह संभव है कि एक से अधिक सीपीआईओ वाले सार्वजनिक प्राधिकरण में संबन्धित सीपीआईओ के अलावा सीपीआईओ को तुरंत हस्तांतरित करना चाहिए, अधिमानतः उसी दिन। आवेदन के हस्तांतरण के लिए पाँच दिनों की अवधि केवल तभी लागू होती है जब आवेदन को एक सार्वजनिक प्राधिकरण से दूसरे सार्वजनिक प्राधिकरण में स्थान्नांतरित किया जाता है और एक ही सार्वजनिक प्राधिकरण में एक सीपीआईओ से दूसरे स्थानांतरित करने के लिए नहीं।

आरटीआई आवेदन पर प्रतिक्रिया

39. उत्तर देने वाले सीपीआईओ को यह जाँचना चाहिए कि क्या मांग की गई जानकारी या उसका हिस्सा अधिनियम की धारा 8 या धारा 9 के तहत प्रकटीकरण से मुक्त है या नहीं। आवेदन के उस हिस्से के संबंध में अनुरोध जो कि छूट है, को खारिज कर दिया जा सकता है और शेष जानकारी तुरंत प्रदान की जानी चाहिए या अतिरिक्त फीस मिलने के बाद, जैसा भी मामला हो।

40. जहां सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध प्राप्त किया जाता है, जो प्रकटीकरण से मुक्त है लेकिन जिसका एक हिस्सा छूट प्राप्त नहीं है और ऐसे हिस्से को इस तरह से तोड़ा जा सकता है कि कटे भाग में छूट की जानकारी नहीं है, फिर जानकारी के उस हिस्से तक पहुँच आवेदक को रिकॉर्ड प्रदान किया जा सकता है (धारा 10)। जहां रिकॉर्ड के एक हिस्से को इस तरह से पहुँच प्रदान की जाती है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचित करना चाहिए कि मांगी गई जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है और रिकॉर्ड के केवल एक हिस्से को अलग किया जा रहा है, प्रकटीकरण से छूट नहीं है। ऐसा करने पर, उसे निर्णय के कारण देना चाहिए, जिसमें तथ्यों के किसी भी भौतिक प्रश्न पर कोई भी निष्कर्ष शामिल हैं, जिसमें सामग्री का जिक्र किया गया है, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे।

41. ऐसे मामले में सूचना की आपूर्ति से पहले सीपीआईओ को उचित प्राधिकरण की मंजूरी लेनीचाहिए और आवेदक को निर्णय देने वाले व्यक्ति के नाम और पदनाम को सूचित करना चाहिए।

42. अनुरोध के निपटान के लिए समय सीमा

क्रम सं.	परिदृश्य	समय
(i)	सामान्य पाठ्यक्रम में सूचना की आपूर्ति	जितनी जल्दी हो सके लेकिन 30 दिनों के बाद नहीं
(ii)	यदि आवेदन एपीआईओ के माध्यम से प्राप्त होता है तो सूचना की आपूर्ति	05 अतिरिक्त दिन
(iii)	सूचना की आपूर्ति यदि यह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है	48 घंटों के भीतर
(iv)	अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकरण को आवेदन का हस्तांतरण	05 दिनों के भीतर
(v)	किसी अन्य लोक प्राधिकरण से स्थानांतरित होने के बाद आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की आपूर्ति	सामान्य मामले: 30 दिनों के भीतर; जीवन और स्वतंत्रता के मामले: 48 घंटे के भीतर
(vi)	सूचना की आपूर्ति जहां आवेदक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाता है	अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करने और ऐसी फीस की प्राप्ति के बीच की अवधि को छोड़कर 30 दिनों के भीतर
(vii)	दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा सूचना की आपूर्ति	मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप (सीआईसी के अनुमोदन के बाद)- आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप: 30 दिनों के भीतर

प्रवीण्यं च लोकहितम्
EFFICIENCY AND THE PUBLIC GOOD

43. यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर जानकारी के अनुरोध पर निर्णय देने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो संबंधित आवेदक को जानकारी नि:शुल्क प्रदान की जानी चाहिए।

तीसरी पार्टी की सूचना[16]

44. अधिनियम के संबंध में तीसरी पार्टी का मतलब नागरिक के अलावा एक व्यक्ति है जिसने सूचना के लिए अनुरोध किया है। सार्वजनिक प्राधिकरण के अलावा कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण जिसे अनुरोध किया गया है, को तीसरे पक्ष की परिभाषा में भी शामिल किया जाएगा।

45. यह स्पष्ट किया गया है कि वाणिज्यिक आत्मविश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा समेत जानकारी, जिसका खुलासा किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा, प्रकटीकरण से मुक्त है। धारा 8(1) (घ) की आवश्यकता है कि ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए तब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि बड़ी सार्वजनिक रुचि ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की गारंटी देती है। एक मामले में के.के. महाजन बनाम छावनी कार्यकारी कार्यालय, सीआईसी ने कहा है कि तीसरे पक्ष को इसके बारे में जानकारी देने से इंकार करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।

46. यदि कोई आवेदक किसी तीसरे पक्ष द्वारा संबंधित या उससे जुड़ी कोई जानकारी मांगता है और उस तीसरे पक्ष ने उस जानकारी को गोपनीय माना है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं। ऐसे मामलों में मार्गदर्शक सिद्धान्त यह होना चाहिए कि कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले में, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक रुचि किसी तीसरे पक्ष के हितों के लिए किसी भी संभावित नुकसान या चोट के महत्व से अधिक हो। हालांकि, ऐसी जानकारी का खुलासा करने से पहले नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाइए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस प्रक्रिया की केवल तभी पालन की जानी चाहिए तब तीसरे पक्ष ने सूचना को गोपनीय माना हो।

47. यदि सीपीआईओ सूचना का खुलासा करना चाहता है, तो उसे आवेदन की प्राप्ति से पाँच दिनों के अंदर होना चाहिए, तीसरे पक्ष को लिखित नोटिस दें कि आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा जानकारी मांगी गई है और वह जानकारी का खुलासा करना चाहता है। उसे तीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से जमा करने का अनुरोध करना चाहिए, इस बारे में जानकारी कि क्या खुलासा किया जाना चाहिए। तीसरे पक्ष को प्रस्तावित प्रकटीकरण, यदि कोई हो, के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसके द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से, दस दिनों का समय दिया जाना चाहिए।

48. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को तीसरे पक्ष के प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेना चाहिए। इस तरह के निर्णय को जानकारी के अनुरोध की प्राप्ति से चालीस दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए। निर्णय लेने के बाद, सीपीआईओ को तीसरे पक्ष को लिखित में फैसले का नोटिस देना चाहिए। तीसरे पक्ष को दी गई नोटिस में एक बयान शामिल होना चाहिए कि तीसरे पक्ष के निर्णय के खिलाफ धारा 19 के तहत अपील को प्राथमिकता देने का हकदार है।

49. तीसरी पार्टी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए गए फैसले के खिलाफ पहली अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने में वरीयता पसंद कर सकती है।

यदि पहली अपीलीय प्राधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो तीसरी पार्टी केंद्रीय सूचना आयोग को दूसरी अपील भेज सकती है।

50. यदि तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने के लिए सीपीआईओ के फैसले के खिलाफ तीसरे पक्ष द्वारा अपील दायर की गई है, तो अपील का फैसला होने तक जानकारी का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

पहली अपील

51. पहली अपील निर्धारित अवधि की समाप्ति की तारीख से या सीपीआईओ से संचार प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। यदि पहली अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो अपील 30 दिनों के बाद भी दाखिल की जा सकती है।

52. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन अपील निश्चित करना एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है। इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को यह देखना चाहिए कि न्याय न केवल हुआ हो बल्कि न्याय किया हुआ प्रतीक भी होना चाहिए। ऐसा करने के लिए अपीली प्राधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा वह निर्णय पहुँचाने के लिए प्रमाणिकता देने वाला आदेश होना चाहिए।

53. अपील का निपटान अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। अपवादात्मक मामलों में, अपीलीय प्राधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिनों का समय ले सकता है। यद्यपि, वे मामले जहां अपील के निपटान में 30 दिनों से अधिक समय लगता है, अपील प्राधिकारी को ऐसी देरी के लिए कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करना चाहिए।

54. यदि अपीलीय प्राधिकारी निर्णय पर पहुंचता है कि अपीलीकर्ता को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना के अतिरिक्त सूचना दी जानी चाहिए तो वह या तो;

i) अपीलकर्ता को ऐसी सूचना देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देशित एक आदेश पारित कर सकता है, या

ii) अपील का निपटान करते समय अपीलीकर्ता को वह स्वयं सूचना दे सकता है।

55. पहले मामले में अपीली प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके द्वारा दी जाने वाली सूचना अपीलकर्ता को तुरंत पहुंचाई जा रही है। यद्यपि यह ज्यादा बेहतर होगा कि अपीली प्राधिकारी दूसरी कार्यवाही की योजना को चुने और मामले में उसके द्वरा पारित किए गए आदेश के साथसाथ सूचना को स्वयं उसके द्वरा प्रस्तुत किया जाए।

56. यदि, किसी मामले में, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी प्रथम अपीली प्राधिकारी द्वरा पारित किए गए आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है और अपीली प्राधिकारी को यह महसूस हो कि उसके आदेश को कार्यान्वित करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो उसे मामले को जन अधिकार में उस

अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाई करने में सक्षम हो। ऐसा सक्षम अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेगा जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

दंड अथवा अनुशासनिक कार्रवाई

57. अधिनियम के अधीन एक आवेदक के पास सूचना आयोग को अपील (दूसरी अपील) करने का अधिकार होता है और आयोग को शिकायत भी कर सकता है। जब किसी शिकायत या अपील के बारे में निर्णय देते समय सूचना आयोग को यह प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकारी ने किसी वाजिब कारण के बिना और लगातार सूचना हेतु दिये गए आवेदन को प्राप्त करने में असफल है, से इनकार किया है या निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया है या जानबूझकर गलत, अधूरी या गुमराह करने वाली सूचना दी है या मांगी गई सूचना के विषय से संबंधित जानकारी को नष्ट किया है या सूचना को प्रेषित किए जाने में किसी तरह से रुकावट पैदा की है तो उस जन सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाई की सिफ़ारिश की जा सकती है। आवेदन प्राप्त होने की तारीख तक अथवा सूचना प्रेषित किए जाने के दिन तक दो सौ पचास रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाएगा बशर्ते कि दंड की कुल राशि पच्चीस हजार रुपए से अधिक न हो।

58. यद्यपि, जन सूचना अधिकारी को, उस पर कोई दंड लगाने से पूर्व उसको सुनने के लिए एक वाजिब अवसर दिया जाएगा। यह प्रमाण देने की ज़िम्मेदारी जन सूचना अधिकारी पर होगी कि उसने वाजिब तरीके से और मेहनत से कार्य किया है और अनुरोध को अस्वीकार करने के मामले में कि ये अस्वीकृति उचित थी, लोक सूचना अधिकारी पर होगी।

59. जहां सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील का निर्णय करते समय यह राय रखता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया है और निरंतर सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने में विफल रहा है या उसने सूचना के लिए अनुरोध को गलत तरीके से अस्वीकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना या नष्ट की गई जानकारी दी है जो सूचना प्रस्तुत करने में किसी भी तरीके से बाधित थी, यह सार्वजनिक सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।

सद्भावना में की गई कार्रवाई के लिए सूचना

60. अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, जो अच्छे विश्वास में की जाती है या अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत किए जाने का इरादा रखती है। इस प्रावधान का उद्देश्य दो प्रकार का है कारण की रक्षा करता है। यह साबित -साथ एक प्रामाणिक गैर-यह एक प्रामाणिक क्रिया के साथ - करने की जिम्मेदारी कि उनकी कार्रवाई अच्छे विश्वास में थी, हालांकि, सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पास है।

ऑनलाइन सूचना का अधिकार

61. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक पहल में, https://rtionline.gov.in के साथ एक वेब पोर्टल आर टी आई ऑनलाइन आरंभ किया गया है। आरटीआई आवेदन फाइल करने में भारतीय नागरिकों के लिए यह एक सुविधा है और ऑनलाइन पहली अपील करने में तथा आरटीआई शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने में भी ।

62. आवेदन निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है:

(क) भारतीय स्टेट बैंक और इसके संबद्ध बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग़

(ख) क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

63. जैसा की सूचना का अधिकार नियमावली 2012 में निर्धारित है की आरटीआई आवेदन का शुल्क रु. 10/- है। गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को आरटीआई शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, ऐसे आवेदक इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं।

64. इस वेब पोर्टल के माध्यम से दाखिल किए गए आवेदन विशेष जन प्राधिकारी, जो इस पोर्टल में सम्मिलित हैं, के 'नोडल अधिकारी' एक दिन में दो बार यू आर एल https://rtionline.gov.in/RTIMIS पर इस पोर्टल को एक्सेस करेगा। नोडल अधिकारी आरटीआई को इलेक्ट्रालिक तरीके से संबन्धित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि आरटीआई आवेदन जन प्राधिकारी, जिसने इसे प्राप्त किया है, के लिए नहीं है तो (नोडल अधिकारी) आवेदन को इलेक्ट्रानिक तरीके से (यदि पोर्टल से संबन्धित है)/ भौतिक तरीके से (यदि पोर्टल से संबंधित नहीं है) अन्य जन प्राधिकारी को स्थानान्तरित कर सकता है।

65. प्रत्येक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को नोडल अधिकारी द्वारा, लॉगइन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। सभी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नियमित रूप से एक दिन में कम से कम एक बार पोर्टल को चेक करेंगे, यह जानने के लिए कि कोई नया आरटीआई आवेदन प्राप्त हुआ है या नहीं।

66. यदि सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत लागत में अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो तो, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पोर्टल के माध्यम से इस विषय में आवेदन को सूचित करेगा।

67. इस वेब पोर्टल के माध्यम से दाखिल की गई पहली अपील भी इलेक्ट्रानिक तरीके से "नोडल अधिकारी" के पास पहुँच जाएगी जो अपीलों को संबन्धित प्रत्येक प्रथम अपीली प्राधिकारी (एफएए) के पास इलेक्ट्रानिक तरीके से प्रेषित करेगा। प्रत्येक प्रथम अपीली प्राधिकारी को नोडल अधिकारी द्वारा लागइन करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड दिया जाएगा। सभी प्रथम अपीली प्राधिकारी (एफएए) नियमित रूप से पोर्टल को चेक करेंगे, यह जानने के लिए कि कोई नया आरटीआई आवेदन प्राप्त हुआ है या नहीं।

68. सीपीआईओ और एफएए इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक/अपीलकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जवाब देंगे। हालाँकि, यदि आपूर्ति की जाने वाली जानकारी की मात्रा बड़ी है तो उसे डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के उत्तर पाठ बॉक्स में उल्लेख किया जा सकता है।

69. आरटीआई प्रकोष्ठ में डाक के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आरटीआई आवेदनों को भी नोडल अधिकारी/आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा पोर्टल में दर्ज किया जाना चाहिए। सीपीआईओ द्वारा सीधे डाक के माध्यम से प्राप्त आरटीआई आवेदनों को भी संबंधित सीपीआईओ द्वारा पोर्टल में दर्ज किया जाना चाहिए। तथापि, सीपीआईओ को ऐसे आवेदनों का उत्तर डाक के माध्यम से भौतिक रूप से देना चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को धाराओं पर सार

धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ में संबंधित है, विधान राष्ट्रपति द्वारा इसकी अनुमति के एक सौ बीसवें दिन से लागू होगा।

धारा 2 में विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है।

धारा 3 में नागरिकों को लोक प्राधिकारियों द्वारा धारित सूचना तक पहुंच का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

धारा 4 में प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने स्वामित्व में रिकॉर्ड रखने, मैनुअल, नियम, विनियम, अनुदेश आदि प्रकाशित करने का कर्त्तव्य सौंपा गया है।

धारा 5 में लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम दिए हैं।

धारा 6 में उस रीति को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें किसी नागरिक द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को अनुरोध किए जाते हैं। इसमें उस अन्य संबंधित लोक प्राधिकारी जिसके पास सूचना हो सकती है, को अनुरोध हस्तांतरित करने का भी उपबंध है।

धारा 7 में वह विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है जिसमें लोक प्राधिकारी सूचना देगा और अनुरोध पत्र तैयार करने और सूचना देने के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

धारा 8 सूचना की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में हैं जिन्हें प्रकट करने से छूट होगी।

धारा 9 में लोक सूचना अधिकारी को उस सूचना के लिए किए गए अनुरोध को अस्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है जिसमें किसी व्यक्ति के पास विद्यमान कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाना शामिल हो।

धारा 10 में लोक प्राधिकारी को वह आंशिक सूचना उपलब्ध कराने का अधिकार है जो आंशिक रूप से छूट की गई श्रेणियों में आती है और आंशिक रूप से गैर-छूट प्राप्त श्रेणियों में आती है।

धारा 11 में तीसरे पक्ष से परामर्श का उपबंध है जहां अनुरोध तीसरे पक्ष से संबंधित है अथवा उसके द्वारा किया गया है और उस पार्टी द्वारा गोपनीय समझा गया है।

धारा 12 से 18 तक में केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन, सेवा की शर्तें, सूचना आयुक्तों एवं उप सूचना आयुक्तों की शक्तियों का उपबंध है।

धारा 19 में पहली एवं दूसरी अपील करने का उपबंध है, पहली अपील उस अधिकारी को की जाएगी जो पद में लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होगा और दसरी अपील आयोग को की जाएगी।

धारा 20 में निर्दिष्ट अवधि में कोई उचित कारण दिए बिना सूचना उपलब्ध कराने में निरंतर असमर्थ रहने के लिए लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति के अधिरोपण का उपबंध है।

धारा 21 में अधिनियम के अधीन सद्भाव में किए गए कार्यों के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही संस्थित करने पर रोक लगाई गई है।

धारा 22 के जरिए इस अधिनियम को अधिभावी स्वरूप प्रदान किया गया है ताकि किसी अन्य विधान से इस अधिनियम का लक्ष्य बाधित न हो।

धारा 23 में अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाई गई है।

धारा 24 में विशेष आसूचना एवं सुरक्षा संगठनों को कानूनी क्षेत्र से छूट दी गई है लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप और अतिक्रमित मानवाधिकारों से संबंधित सूचना, छूट पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, देने का उपबंध है।

धारा 25 में आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और केन्द्र सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का उपबंध है।

धारा 26 में सूचना प्रणाली की प्रगति के लिए स्कीम तैयार करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार पर बाध्यता डाली गई है।

धारा 27 में केन्द्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है जिससे कि कानून के उपबंधों का पालन किया जा सके।

धारा 28 में सक्षम प्राधिकारी को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है जिससे कि कानून के उपबंधों का पालन किया जा सके।

धारा 29 में केन्द्र सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष नियम रखना अपेक्षित है।

धारा 30 में केन्द्र सरकार को कानून के लागू होने से दो वर्ष की अवधि के अंदर कानून के उपबंधों को कार्यान्वित करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सशक्त किया गया है।

धारा 31 में सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को निरस्त करने का उल्लेख है।

****

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान
Institute of Secretariat Training & Management
सत्यमेव जयते
प्रवीण्यं च लोकहितम्
EFFICIENCY AND THE PUBLIC GOOD